सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 139/17

निर्णय दिनांकः–

1. राजेन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी हांसिया बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल निवासी चक 4 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सुशीला पत्नी रामगोपाल जाति जाट निवासी चक 6 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20–10–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री मुखराम कुकणा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 20–10–2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके चक 4 एस. एल.डी पटवार क्षेत्र शेरपुरा के मुरब्बा नम्बर 90/44 के किला नम्बर 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 कुल तादादी 7 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की चक 4 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 90/44 के किला नम्बर 20 ता 25 में कुल 6 बीघा अनकमाण्ड भूमि स्थित है। इसी मुरब्बे के किला नम्बर 13, 14, 15, कुल तादादी 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि जो आराजीराज थी, अपीलांटान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा अन्य सह काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये रेस्पोडेन्ट को मनमाने ढंग से स्मालपेच में आवंटन कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि स्मालपेच में प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है।

आराजी जैर रकबा अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 4 एस. एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 90/44 का ही शेष भाग है रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के अनुसार किसी भी आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट् की वरियता रेस्पोडेन्ट से ऊपर बनती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा चक 4 एस.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 90/44 में 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवेदित रकबा लधू पट्टी आवंटन श्रेणी में आवंटन हेतु विशुद्व रूप से उपलब्ध होने पर राजस्थान उपनिवेशन(इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के निर्धारित नियमो के प्रावधानानुसार/नियमानुसार लधु पट्टी श्रेणी में आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आराजी जैर की तमाम निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है व खातेदारी सनद् प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह रूपष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि वे किस आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपीलांट द्वारा अपीला मियांद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट स्वयं अपने हितों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(अ)** हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी चक 4 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 90/44 के किला नम्बर 13 ता 15 कुल 3 बीघा भूमि का स्मालपेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के निर्धारित नियमो के प्रावधानानुसार/नियमानुसार लधु पट्टी श्रेणी में आवंटन किया गया है

(ब) अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि आराजी जैर व उसके चिपते मुरब्बें में सुशीला पत्नी रामगोपाल, कलावती पत्नी लाधूराम, राजेन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल, सन्तोषदेवी पत्नी भंवरलाल व बजरंग सिंह पुत्र नूनसिंह आदि कृषकों की भूमि दर्शाते हुए वरीयता तो निर्धारित की गई है, किन्तु आराजी जैर के आवंटन से पूर्व किसी भी चिपते काश्तकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(स) अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन(इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 04—11—2016 निरस्त किया जाता है व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आराजी जैर के आवंटन से पूर्व समस्त चिपते काश्तकारों को नोटिस/सुनवाइ/सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर